प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 10 / 2012

याचिकाकर्ता : भारत एल्युमिनियम कंपनी **लिमिटेड**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : जांच आयोग एवं अन्य

हस्ताक्षरित/-
सतीश के.अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दिनांक: **26 जून, 2012 को घोषित**</u>

एकल पीठ: **माननीय श्री सतीश के.अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति**

उपस्थित :याचिकाकर्ता की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा व श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्तागण
उत्तरवादी क्र.1 की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री मलेय श्रीवास्तव व श्री समीर श्रीवास्तव, अधिवक्तागण
राज्य शासन/उत्तरवादी क्र.2 की ओर से श्री वाई.एस. ठाकुर, उपमहाधिवक्ता,
उत्तरवादी क्र.3 की ओर से श्री धर्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र.4 की ओर से श्री अशोक कुमार तिवारी, अधिवक्ता

---

1. इस याचिका द्वारा उत्तरवादी क्र.1-जांच आयोग (संक्षेप में **"आयोग"**) द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2011 को पारित आदेश (प्रदर्श पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दिनांक 24 दिसम्बर 2011 के आवेदन (प्रदर्श पी/4)अंतर्गत धारा 8 (ख) एवं 8 (ग) 'जाँच आयोग अधिनियम 1952'को अस्वीकार कर दिया गया था।
2. इस याचिका के दाखिल किये जाने के संक्षेप में तथ्यों का निरूपण इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निर्माणाधीन *ब्लास्ट फर्नेस (चिमनी)* ध्वस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गया। राज्य शासन ने, जनहित में, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13/10/2009 के आदेश (प्रदर्श पी/2) द्वारा श्री संदीप बक्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की अध्यक्षता में 'एक सदस्यीय जाँच आयोग ' का गठन किया।
3. आयोग के निर्देश/*संदर्भ की शर्तें* इस प्रकार निर्धारित की गई थीं कि-

(i) दुर्घटना कब और कैसे हुई;

(ii) वे परिस्थितियाँ और कारण जिनसे *ब्लास्ट फर्नेस* ढह गया ;

(iii) इस दुर्घटना के लिए कौन उत्तरदायी था;

(iv) क्या निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मानक के अनुरूप थी, और यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन था;

(v) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की बचाव व सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए थे, और यदि नहीं उठाए गए, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी था; तथा

(vi) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या अनुशंसाएँ की जानी चाहिए।

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 24/12/2011 को एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया कि यदि आयोग के अभिमत में याचिकाकर्ता की 'प्रतिष्ठा' प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए तथा अधिवक्ता के माध्यम से साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जाए। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत अभिमत निरीक्षण के समय प्रदर्शित नहीं किये गये, और यदि उक्त तकनीकी राय आयोग के अभिमत निर्धारण में योगदान देता है जिससे याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को तकनीकी विशेषज्ञ की मत/अनुमोदन सहित सभी दस्तावेज, उपलब्ध कराए जाएँ ताकि याचिकाकर्ता प्रभावी रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सके।

5. राज्य शासन ने उक्त आवेदन पर उसी दिन अर्थात् 24/12/2011 में अपना जवाब(प्रदर्श पी/5) प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि याचिकाकर्ता को पहले ही साक्ष्य *प्रस्तुत करने*, गवाहों का प्रतिपरीक्षण *करने* तथा उस पर लगाए गए आरोपों का प्रतिवाद करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि अधिनियम, 1952 की धारा 8(ख) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कोई अभिमत आयोग द्वारा निर्मित नहीं किया गया है।

6. आयोग द्वारा दिनांक 24/12/2011 को पारित आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दहन भट्ठी दुर्घटना की जाँच के दौरान संबद्ध पक्षकार याचिकाकर्ता तथा राज्य शासन उत्तरवादी क्र.3 एवं 4 हैं और यह संभव है कि किसी पक्षकार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो। याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। आयोग विशेषज्ञ से केवल कुछ सहायता लिए जाने के अतिरिक्त,उनकी कोई राय ग्रहण नहीं की है। यह भी माना गया कि जिन दस्तावेजों एवं अभिलेखों का उल्लेख किया गया है तथा जिन पर भरोसा किया जाना संभाव्य है, वे सभी याचिकाकर्ता को कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। आयोग ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता पुनः निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिन्हा ने यह निवेदन किया कि यदि जाँच के किसी भी स्तर पर आयोग यह आवश्यक समझे कि किसी व्यक्ति के आचरण की जाँच की जाए अथवा यह मत बने कि किसी व्यक्ति की जाँच से उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो आयोग को उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देना होगा तथा उसे अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार भी देना होगा। श्री सिन्हा ने आगे यह भी तर्क दिया कि आयोग ने विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त की है, किंतु उसके पश्चात याचिकाकर्ता पर कुछ भी प्रकट नहीं किया गया जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार जाँच आयोग, जाँच आयोग अधिनियम 1952की धारा 8-ख के बंधनकारी प्रावधानों का अतिल्लंघन हुआ है। अतः, आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया जाए तथा आयोग को निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अमुचित अवसर प्रदान करे एवं उसे विशेषज्ञ की राय की प्रति उपलब्ध कराए ताकि याचिकाकर्ता प्रभावी एवं उचित रूप से अपना बचाव प्रस्तुत कर सके।

8. श्री सिन्हा ने आगे तर्क करते हुए यह उल्लेख किया कि आयोग द्वारा जिस प्रकार कार्यवाही की गई है, वह आयोग द्वारा जाँच प्रारंभ करने से पूर्व निर्मित विनियमों का उल्लंघन है। आयोग द्वारा संकलित कार्यवाही/दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति, याचिकाकर्ता को प्रदान करने से भी वंचित कर दिया गया।

9. अपने याचिका के पक्ष समर्थन में श्री सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया:

श्रीमती किरण बेदी विरुद्ध कमेटी ऑफ इन्क्वायरी एवं अन्य[1],
बिहार राज्य विरुद्ध लालकृष्ण आडवाणी एवं अन्य[2],
सहारा इंडिया (फर्म) लखनऊ विरुद्ध आयकर आयुक्त सेंट्रल-I एवं अन्य[3],
भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध ई.जी.नम्बूदिरी[4],
भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध तुलसीराम पटेल[5] तथा
कोठारी फिलामेंट्स एवं अन्य विरुद्ध आयुक्त सीमा शुल्क(पोर्ट), कोलकाता एवं अन्य[6]

10. उत्तरवादी क्र.1/आयोग की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि जिन दस्तावेजों और अभिलेखों पर आयोग भरोसा करने जा रहा है, वे सभी निरीक्षण हेतु उपलब्ध करा दिए गए हैं। अतः याचिकाकर्ता का यह आक्षेपित कथन कि उसे उचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, निराधार है। वह अवस्था, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो व आयोग को धारा 8-ख के अनुसार राय बनाना पड़े, अभी उत्पन्न नहीं हुई है। जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 8-ख यह प्रावधान करती है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो आयोग विधि का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुसार सख्ती से पालन करेगा

11. राज्य शासन/उत्तरवादी क्र.2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का समर्थन किया।।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उत्तरवादी क्र. 3 एवं 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेश श्रीवास्तव तथा श्री अशोक कुमार तिवारी ने, यह तर्क प्रस्तुत किया कि पक्षकारों तथा कुछ सामान्य जनों ने शपथपत्र दाखिल किए थे और उनका परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी व्यक्त किया कि आयोग को संकलित की गई सामग्री, सूचना एवं दस्तावेज़ों का प्रकटीकरण या खुलासा सभी पक्षकारों को किया जाना चाहिए था, जिनमें उत्तरवादी भी सम्मिलित हैं।"

13. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा याचिकाओं और उनसे संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया है।

14. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आयोग ने यह माना है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की संभावना हो सकती है, तथापि यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर प्रदान किया गया है और इस प्रकार जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 8-ख के अनुसार पुनः द्वितीय अवसर प्रदान करने का कोई मौका उत्पन्न नहीं हुआ है।

15. इस स्तर पर, यह परीक्षण किया जाना संभव नहीं है कि आयोग द्वारा कोई ऐसी राय निर्मित की गयी है जो याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, और यदि ऐसा है तो भी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बाध्यकारी है कि जांच के द्वारा जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उसे उन दस्तावेज़ों के

संबंध में अपनी बचाव करने हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाए, जो ऐसे राय निर्धारित करने की ओर अग्रसर होता है और यह अवसर आयोग द्वारा की गई जांच में सभी संबंधित पक्षकारों को दिए गए सामान्य सुनवाई के अवसर के अतिरिक्त होना चाहिए।

16. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह अवस्था अभी नहीं आई है जिसमें आयोग ने कोई ऐसी कोई राय निर्धारण किया हो जो याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और यदि ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति सुने जाने तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने समुचित अवसर पाने का हकदार है।

17. उच्चतम न्यायालय के ई.जी. नम्बूदिरी (पूर्वोक्त) तथा तुलसीराम पटेल (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय विवादित तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं हैं। यहाँ तक कि

1. **(1989) 1 एससीसी .494**
2. **(2003) 8 एससीसी 361**
3. **(2008) 14 एससीसी151**
4. **(1991) 3 एससीसी 38**
5. **(1985) 3 Sएससीसी 3**
6. **(2009) 2 एससीसी 192**

कोठारी फिलामेंट्स(पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय भी सुसंगत नहीं है क्योंकि मामला सीमा शुल्क अधिनियम से उत्पन्न हुआ है और वहाँ जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 8-ख जैसा कोई प्रावधान नहीं था। याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय उद्धृत किए हैं, जिनका उल्लेख पुनरावृत्ति से बचने हेतु नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुनवाई के अवसर के विषय में विधि सुव्यवस्थित है। यह अनावश्यक रूप से निर्णय को बोझिल करेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. जाँच आयोगअधिनियम, 1952 की धारा 8-(ख) एवं 8-(ग) इस प्रकार हैं:

8-ख: उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो - यदि जांच के किसी अनुक्रम –

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित अवसर देगा: परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो।

8-ग: प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधत्व का अधिकार- समुचित सरकार, धारा 8-ख में विनिदिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है –

(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा;

(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतितिनिधत्व करा सकेगा।

19. अधिनियम, 1952 की धारा 8-(ख)यह प्रावधान नहीं करती है कि किस अवस्था में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। जांच की किसी भी अवस्था में जब आयोग यह मत बनाए कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जांच द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तो उस व्यक्ति को सुने जाने तथा अपनी रक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अनिवार्य है।

20. **"कर्नाटक राज्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य** [7]" मामले में, जहाँ केंद्रीय सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत एक जांच आयोग नियुक्त किया था, उस समय माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बहुमत निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए जांच की रूपरेखा और उद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट किया :

> "184. इन प्रावधानों और अधिनियम की सामान्य रूपरेखा से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त जांच आयोग केवल तथ्य खोजने वाली संस्था है, जिसके पास कोई बंधनकारी अथवा निर्णायक निर्णय देने की शक्ति नहीं है। इसका कार्य साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का संकलन करना है और उन पर विचार कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, जिसे नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी। ऐसे संवेदनशील विषय, जो सामान्य जांच एजेंसियों के हाथ में छोड़ दिए जाएँ, अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकते हैं और संदेह का वातावरण बना सकते हैं। समाज के व्यापक हितों की मांग है कि ऐसे मामलों की जांच उच्चस्तरीय आयोगों द्वारा की जाए, जिनके निष्कर्ष जनता का विश्वास अर्जित कर सकें।"

7: 1977 (4) एस सी सी 608

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ द पोर्ट ऑफ बॉम्बे विरुद्ध दिलीपकुमार राघवेंद्रनाथ नाडकर्णी** [8] में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

> "1-3.और यह दृष्टिकोण अनुच्छेद 21 से लिया गया था, जिसमें जिसमें यह आज्ञापक आदेश दिया गया है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। "जीवन" शब्द का अर्थ मात्र पशुओं जैसा होना या जीवन भर लगातार परिश्रम करना नहीं है।"जीवन" शब्द का अर्थ अत्यंत विशाल है। इसलिए, जहाँ विभागीय जाँच के निष्कर्ष से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है, वहाँ मानव सभ्यता की कुछ उत्कृष्ट गौरव जो जीवन को जीविकोपायन हेतु श्रेयस्कर बनाती हैं, खतरे में पड़ जाएगी और उन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है।

22. उच्चतम न्यायालय ने **किरण बेदी विरुद्ध कमेटी ऑफ इन्क्वायरी** [9] मामले में यह अभिनिर्धारित किया

"3(4)......अगर वे धारा 8-ख में बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं, तो सिर्फ़ धारा 8-ख के तहत उन्हें सूचना जारी न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अधिनियम के धारा 8-ख के तहत ऐसी सूचना जारी करने की बात नहीं है। अगर आयोग किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति के व्यवहार की जांच करना ज़रूरी समझता है, तो यह काफ़ी है। ऐसा व्यक्ति उसके बाद अधिनियम के धारा 8-ख के

` अध्यधीन शासित होगा। आयोग/समिति को यह विचार चाहिए था कि क्या याचिकाकर्ता को प्रति परीक्षण के लिए गवाह कटघरे में जाने के लिए कहने से पहले वह अधिनियम के धारा 8-ख के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के तौर पर व्यव्हार (सुविधा) पाने का हक़दार है। अगर समिति/आयोग को पता चलता कि याचिकाकर्ता धारा 8-ख के अंतर्गत आते हैं, तो शायद उन्हें जांच खत्म होने तक प्रति परीक्षण के लिए गवाह कटघरे में जाने के लिए नहीं कहा जाता। इसके बाद समिति ने उनसे उन दूसरे लोगों के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा होगा, जिन्हें जांच के अंत में इसी तरह रखा गया था। ।

23. श्रीमती किरण बेदी(पूर्वोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त दिए गए अनुपात को और स्पष्ट किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"17.....:धारा 8(ख) के अंतर्गत प्रक्रिया का आश्रय किसी विशेष स्तर तक परिरुद्ध नहीं लिया जा सकता और अगर पहले नहीं, तो कम से कम, जैसे ही कमेटी ने अपनी अंतरिम प्रतिवेदन में अपने इरादे की स्पष्ट घोषणा की, अगर उसका यही मानना था, जैसा कि लगता है, तो उसे दोनों याचिकाकर्ताओं को धारा 8-ख के तहत सूचना जारी करना चाहिए था,जिस दृष्टिकोण के लिए रूप से कोई औचित्य नहीं है, धारा 8-ख के अंतर्गत औपचारिक सूचना जारी करना उस धारा को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य था। किसी भी स्थिति में, समिति मात्र औपचारिक सूचना जारी करने से बचकर याचिकाकर्ताओं को धारा 8-ख के वैधानिक संरक्षण से मना नहीं कर सकती थी, भले ही उसके अपने घोषित मन्तव्य से यह खंड स्पष्ट रूप से आकर्षित होता था

8: 1983 (1) एस सी सी 124
9: (1988) 4 एस सी सी 49

25.डी.एफ.मैरियन विरुद्ध डेविस में, यह माना गया था:
द्वेषपूर्ण बदनामी से बचाकर, निजी प्रतिष्ठा का भोग व संतुष्टि प्राप्त करने का अधिकार बहुत पुराना है और मानव समाज के लिए आवश्यक है।

एक अच्छी ख्याति निजी सुरक्षा का अहम तत्व है, और संविधान इसे जीवन, स्वतत्रता और सम्पत्ति के उपभोग के मानव अधिकार के बराबर सुरक्षित रखता है।"

24. **मैनेजिंग डायरेक्टर, ई सी आई एल, हैदराबाद एवं अन्य विरुद्ध बी.करुणाकर एवं अन्य** [10] में उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने यह माना है कि सही मौका न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"61. अब यह सुस्थापित विधि है कि कार्यवाही सही, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए और इसे नकारना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। यह सुस्थापित विधि है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 14 का अनिवार्य अंग है। किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई निर्णय, मौका दिए बिना या वह तथ्यात्मक सामग्री दिए बिना नहीं लिया जाना चाहिए जो निर्णय का आधार है। जांच प्रतिवेदन में नया तथ्यात्मक सामग्री होता है जिसका अनुशासनात्मक प्राधिकारी के मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। अनंतिम आदेश अथवा निष्कर्ष के साथ प्रतिवेदन देना सड़ी हुई,दुर्गन्धयुक्त शव परीक्षण प्रमाणपत्र दिये जाने जैसा है। दोषी को इसकी प्रति न देना अनुचित प्रक्रिया होगी जो न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 311(2)का बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करेगी।

25. लाल कृष्ण आडवाणी (पूर्वोक्त) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह माना था:

"6.....इस तरह यह पूरी तरह स्पष्ट है कि - किसी को अपनी ख्याति को रखने और उसे बनाए रखने का हक है और उसे इसकी रक्षा करने का भी हक है। यदि कोई प्राधिकारी विधि के तहत उसे सौंपे गए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रवेश करता है जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे मामले में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, जांच आयोग द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सुरक्षा करने का किसी व्यक्तिगत अधिकार वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है और इसका उल्लंघन करने पर न्यायिक पुनर्विलोकन की संवीक्षा होगी।;इस संबंध में पीटर थॉमस महोन विरुद्ध एयर न्यूज़ीलैंड लिमिटेड का उद्धरण अथवा संदर्भ लिया जा सकता है।

8.यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह संशोधन,मुख्य अधिनियम के पारित होने के लगभग 20 वर्ष बाद लाया गया था। पिछले दो दशकों के अनुभव ने विधान मंडल को यह एहसास दिलाया होगा कि ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना ज़रूरी होगा जिसके व्यवहार की जांच आयोग को जांच के दौरान ज़रूरी समझता है या जांच के दौरान ऐसे लोगों से पूछताछ की जा सकती है जिनकी प्रतिष्ठा पर जांच से बुरा असर पड़ने की संभावना है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी बात कहने और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलेगा।

10: 1993(4) एस सी सी 121

इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक वैधानिक प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। इसलिए आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को कोई भी टिप्पणी करने या राय देने से पहले, जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, एक मौका दे। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने पर कार्य और उसके परिणाम भी महत्वहीन हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उच्चतम न्यायालय ने सहारा इंडिया(फर्म),लखनऊ(पूर्वोक्त)में यह अभिनिर्धारित किया:

15. "प्राकृतिक न्याय" के नियम समाविष्ट नियम नहीं हैं। "प्राकृतिक न्याय" शब्द की भी कोई विधिपूर्वक परिभाषा नहीं दी जा सकती। प्राकृतिक न्याय का मौलिक सिद्धांत, जो साधारण विधि के तहत बना है, व राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा अधिकार व शक्ति के मनमाने प्रयोग को नियंत्रित करना है। इसलिए, इस सिद्धांत का मतलब है कि निष्पक्ष तरीके से काम करना, यानी कार्य में निष्पक्षता। जैसा कि इस न्यायालय ने ए.के.क्राइपक विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया[12] में अभिनिर्धारित किया था, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है या इसे गलत तरीके से कहें तो न्याय में गड़बड़ी को रोकना है। ये नियम सिर्फ़ उन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं जो किसी भी वैध तरीके से बने विधि के तहत नहीं आते हैं। ये विधि की जगह नहीं लेते बल्कि उसे अनुपूरक करते हैं। (आईटीओ विरुद्ध मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड भी देखें)"

27. यह बताया गया है कि इस याचिका के लम्बित रहने के दौरान, पक्षकारों को आयोग के 12 जून 2012 के आदेश के ज़रिए लिखित तर्क दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

28. उत्तरवादी नं.1/आयोग का मामला यह है कि सभी मौके दिए गए हैं, लेकिन, यह कहीं नहीं देखा गया कि आयोग ने कोई राय बनाई है, सिवाय इसके कि कुछ पक्षकारों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मेरे सामने ऐसी कोई तथ्यात्मक सामग्री पेश नहीं की गयी है जिससे पता चले कि आयोग ने यह राय बनाई है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति अथवा प्रसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जांच पूरी नहीं हुई है, क्योंकि प्रतिवेदन जमा नहीं की गई है। जाँच आयोग अधिनियम 1952 के धारा 8ख के प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध राय बनाने से पहले, यह ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति को जांच में अपनी पक्ष रखने और अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का सही व उचित अवसर दिया जाए। इस सम्बन्ध में सुस्थापित विधि मौजूद है।

29. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आयोग को कोई निर्देश देने का प्रस्ताव नहीं करता, क्योंकि आयोग को अपना काम विधि के नियमों के अनुसार करना होता है।

30.परिणामस्वरूप रिट याचिका निराकृत की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नही।

हस्ताक्षरित/-
सतीश के.अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur